

(25)

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की दिनांक 05.04.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०अ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति एवं कार्यों की प्रगति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गाजियाबाद की बैठक दिनांक 05.04.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद-उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद-सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गाजियाबाद -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद -सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), के प्रोजेक्ट मैनेजर

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या- LC/GZB/ JJM/275 Date:-01-04-2023 के माध्यम से 06 नग डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 07 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाईडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाईडलाइन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रु 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी०एस०टी० को लिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डी०पी०आर० में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रु० 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रु० 15.00 लाख से कम होनी चाहिए (4) O.H.T. की क्षमता 25 के गुणांक में होनी चाहिए तथा स्टेजिंग 18 मी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कोस्ट (रु० करोड़)	सेन्टेज (रु० करोड़)	कुल लागत (रु० करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (रु०)	प्रति FHTC की लागत मानक रु० 35000 एकल ग्राम हेतु तथा रु० 65000 बहुल ग्राम हेतु	प्रति कि०मी० वितरण प्रणाली की लागत मानक रु० 15 लाख के सापेक्ष
1	नगला मूसा	भोजपुर	1	527	3286	1.841	0.195	2.036	5603	34933	13.87
2	झलावा एवं असदपुर नागल	मुरादनगर	2	840	5347	3.501	0.371	3.872	6548	41683	14.87
3	मुरादग्रामपुर पुर्सी	मुरादनगर	1	1165	9763	3.735	0.386	4.121	3826	32059	13.33
4	नुसरताबाद खडखडी	लोनी	1	767	5699	2.679	0.284	2.963	4701	34928	12.22
5	मीरपुर हिन्दु (पुर्नगठन)	लोनी	1	861	6202	3.003	0.318	3.321	4842	34878	13.90
6	नाहल (पुर्नगठन)	रजापुर	1	2757	32309	8.533	0.904	9.437	2641	30950	13.91

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विवरण के अनुसार मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त 06 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुरूप है तथा समस्त 06 नग डी0पी0आर0 (07 नग ग्राम) निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुरूप कम्पलाईन है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनाओं में से क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 पर अंकित 05 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की लागत रु० 5.00 करोड़ से कम होने के कारण शासनादेश संख्या-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 (संलग्नक-घ) के बिन्दु सं० 12 के अनुसार समस्त 05 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त क्रमांक 06 पर अंकित योजना की लागत 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण शासनादेश संख्या-7/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 04.03.2022 (संलग्नक-घ) के अनुसार उक्त 01 नग योजना की वैटिंग राजकीय महा विद्यालय, आई०ई०टी०, लखनऊ से कराई गई है तथा उक्त 01 नग योजना का परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के अन्तर्गत गठित प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा तथा तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता/यूनिट कोर्डिनेटर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा प्रदान की जायेगी।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर उपरोक्त प्रस्तुत 06 नग डी0पी0आर0 में से क्रमांक 1, नगला मूसा 2, झलावा एवं असदपुर नागल 3, मुरादग्रामपुर पुर्सी 4, नुसरताबाद खडखडी एवं 5 मीरपुर हिन्दु (पुर्नगठन) पेयजल योजनाओं कुल 05 नग डी0पी0आर0 (06 नग ग्राम) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने एवं समस्त 05 नग डी0पी0आर0 की लागत रु० 5.00 करोड़ से कम होने के कारण जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा क्रमांक 6 नाहल (पुर्नगठन) पेयजल योजना की डी0पी0आर0 की लागत रु० 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण उपरोक्त समस्त 06 नग डी0पी0आर0 को स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा तत्काल समस्त 06 नग डी0पी0आर (07 नग ग्राम) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

अधिशायी अभियंता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशायी अभियंता ग्राउंड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशायी अभियंता सिचाई,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।

जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।

जिला अधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद